

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/329
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00284
CICOM/R/2018/01113

दिनांक: 28.12.2018

अपीलकर्ता : श्री मनोज नेहरा,
पुत्र - स्व० श्री ईश्वर सिंह नेहरा,
ग्राम - औरंगाबाद गदाना, तह० - मोदीनगर,
गाजियाबाद ।

निर्णय की तारीख : 28.12.2018

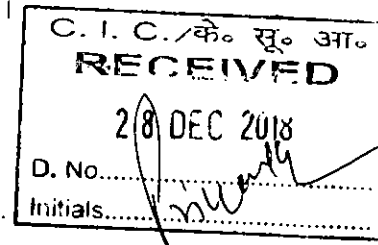
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	14.11.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.12.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. गोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.12.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	602/28.12.2018 (6832/27.12.2018)

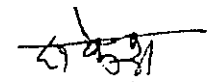
1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 14.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/EMCDN/A/2017/132771 से संबंधित आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 01.09.2018 के पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 14.11.2018 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना दिनांक 05.12.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/01113 के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है, प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है । श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

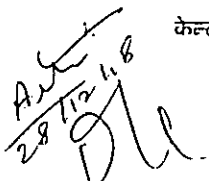



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. पकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।


28/12/18